



Neutral Citation No. – 2026:AHC:11483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1021 वर्ष 2026

धर्मेन्द्र सिंह और एक अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 57 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: राधेश्याम यादव

प्रतिवादी के वकील

: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सीएससी

कोर्ट संख्या - 6

माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति।

1. राज्य द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, आगरा के समक्ष केस संख्या 96/2009-2010 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या C2010010000671, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 333 के तहत) में शुरू की गई कार्यवाही में यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम के तहत, दिनांक 27.05.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक भाग इस प्रकार है:-

"प्रश्नगत िनगरानी संख्या-96/2009-10, कम्प्यूटरीकृत संख्या-टी2010010000671, उ0प्र0 सरकार आिद बनाम मोहन िसह आिद आंिशक रूप से स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश िदनांक 10.08.2009 िनरस्त िकिया जाता है। इस न्यायालय का यिद कोई स्थगन आदेश है तो वह भी िनरस्त िकिया जाता है। आदेश की प्रित अवर न्यायालय को इस िनिर्देश सहित प्रितप्रिषत की जाती है िक वह उभयपक्षों एवं तहसील स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं अभिलेख प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई/आपित व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण से सम्बिन्धत समस्त अभिलेखों/साक्ष्यों का िविधवत् पिरशीलन करने के उपरान्त गुणदोष पर आदेश पिरारत करें। बाद आवश्यक कायर्वाही इस न्यायालय की पत्रावली दिाखल दफ्तर की जाये।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह तर्क दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश पारित होने के बाद, आगरा जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही चल रही है, लेकिन आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

3. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका

आदेश का निपटारा करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह उपर्युक्त मुकदमे का निपटारा कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर करे, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"